rcms id · 2020/00078

Online feed
17/3/20

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

रायसिंह वगैo *बनाम* *गोरधन वगैo*

किस्म मुकद्दमा – प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता

प्रकरण संख्या 29 वर्ष **2020**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-03-2020	प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 144 सिविल प्रकिया संहिता के अन्तर्गत पेश कर कथन किया है कि सहायक भू प्रबंध अधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 17.7.1987 के विरूद्व प्रार्थी / अपीलांट ने उपरोक्त उनवान की अपील माननीय न्यायालय में पेश की थी, जिसका निर्णय दिनांक 10.4.2000 को किया जाकर अपील स्वीकार की गई थी । माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.4.2000 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील भू प्रबंध आयुक्त जयपुर के समक्ष पेश की थी, जिसका निर्णय दिनांक 10.7.2007 को किया जाकर रेस्पोडेन्ट की अपील खारिज की गई, जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट ने माननीय राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की थी जो दिनांक 1.10.2018 को खारिज की गई । रेस्पो0 द्वारा आदेश दिनांक 1.10.2018 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी जो दिनांक 6.2.2019 को खारिज कर दी गई है । इस प्रकार निर्णय दिनांक 10.4.2000 का अन्तिमरूप से निस्तारण हो चुका है । अन्तिमरूप से निस्तारण हो जाने से रेस्पोडेन्ट एवं उनके कायम मुकामान के नाम खाता संख्या नया 131 पुराना 134 से हटाये जाकर अपीलान्ट के खाता संख्या नया 306 पुराने 294 पर अपीलान्ट के खाते की आराजी खसरा नं0 175 रकबा 10.89 हे0 एवं 176 रकबा 0.13 हे0 कुल 11.02 हे0 अपीलान्ट के नाम रिपीट कर खाते में करने बाबत निवेदन किया । वकील प्रार्थी /अपीलांट को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया, पूर्व पत्रावली सं0 30/99 का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक भू प्रबंध अधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 17.7.1987 के विरूद्व प्रार्थी / अपीलांट ने उपरोक्त उनवान की अपील इस न्यायालय में पेश की गई थी, प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत धारा 144 का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय (अपीलीय न्यायालय) द्वारा ग्रहण किये जाने योग्य नहीं होकर अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । दायर पंजिका में अंकन किया जावें । पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर मूल अपील पत्रावली सं0 30/99 के संलग्न किया जाकर दाखिल दफ्तर हो । जिला कलेक्टर कोटा	

Scanned by CamScanner